<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री हिमांशु कुमार, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन एक्सटेन्सन, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**15 / 12**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एस0 एन0 वर्मा, अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-15 / 12, दिनांक 29.02.12 प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ द्वारा समझौते के अन्तर्गत सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 से कोयला क्रय किया जाता है तथा यदि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 द्वारा 90% या उससे अधिक कान्ट्रैक्ट क्वालिटी कोयले की आपूर्ति की जाती है तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ द्वारा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 को **परफारमेन्स इनसेन्टिव** के रूप में कुछ धनराशि का भुगतान समझौते के अन्तर्गत किया जाता है। अतः वह " **परफारमेन्स इनसेन्टिव** ", पर करदेयता की स्थिति जानना चाहते हैं ?

2. फर्म की ओर से श्री एस0 एन0 वर्मा, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 के मध्य हुए समझौते के क्लास संख्या-3.12 के अन्तर्गत **परफारमेन्स इनसेन्टिव** का उल्लेख है तथा यदि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को तय कोयले की बिक्री का 90% या उससे अधिक की कोयले की सप्लाई किसी वर्ष में कर दी जाती है तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 को **परफारमेन्स इनसेन्टिव** के रूप में कुछ राशि का भुगतान दिये जाने का प्राविधान उक्त समझौते में है। अतः **परफारमेन्स इनसेन्टिव** पर करदेयता के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं। मौखिक रूप से अवगत कराया कि उनका प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) (e) के अन्तर्गत आता है।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन प्रथम के पत्रांक-98, दिनांक 16.04.12, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, लखनऊ सम्भाग-बी के पत्र संख्या-28, दिनांक 11.04.12 एवं डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-12, लखनऊ के पत्र संख्या-02, दिनांक 02.04.12 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ उत्पादन इकाई है तथा कोयले का उपभोक्ता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ द्वारा कोयले की बिक्री का कोई कार्य नहीं किया जाता है। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 द्वारा कोयले की आपूर्ति के एवज में प्राप्त इनसेन्टिव के रूप में भुगतान पर कर की दर की जानकारी सम्बन्धित राज्य के कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर दिया जाना उचित होगा। अवगत कराया कि इस कारण से व्यापारी का प्रार्थना-पत्र धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली, अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया पाया गया कि **परफारमेन्स इनसेन्टिव** की धनराशि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित कोयला के आपूर्तिकर्ता को अदा की जाती है। चूँकि उत्तर प्रदेश के बाहर से की गयी कोयला की खरीद पर प्रार्थी का कोई कर दायित्व उत्तर प्रदेश

......2

<u>उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/ प्रा0 पत्र सं0-15 / 12 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत नहीं है, अत: इस तथ्य से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि **परफारमेन्स इनसेन्टिव** की धनराशि खरीद की टर्नओवर का हिस्सा है या नहीं। अत: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) (a), (b), (c), (d) एवं (e) के अन्तर्गत नहीं आता है। अत: व्यापारी का धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक मई, 2012

ह0 / 14.05.2012

(हिमांशु कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।